

तारीख
हुकम

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर
नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 165/2026
राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मण



नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील में
जारी हुए

दिनांक : 11.03.2026

थानाधिकारी पुलिस थाना कुंआ की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2026 में यह अभियोग-पत्र अभियुक्त लक्ष्मण पिता जौरजी डेंडोर उम्र 57 साल निवासी मालाखोलडा पुलिस थाना कुंआ जिला डूंगरपुर के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभियुक्त बरजमानत मय अधिवक्ता श्री विरेन्द्रसिंह चौहान के साथ उपस्थित। अभियोग पत्र की प्रति अभियुक्त/अधिवक्ता को निःशुल्क दिलाई गई।

अभियोग पत्र के साथ संकलित सामग्री से उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का संज्ञान लिये जाने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध होने से उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक हो। एफ.आई.आर. व रिमाण्ड पेपर शामिल पत्रावली हो।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त को अपराध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को स्वीकार किया एवं अंवीक्षा नहीं चाही। साथ ही लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया व प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त लक्ष्मण पिता जौरजी डेंडोर उम्र 57 साल निवासी मालाखोलडा पुलिस थाना कुंआ जिला डूंगरपुर, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अंवीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

सजा व परिवीक्षा के प्रश्न पर सुनने एवं पत्रावली और विधि का अवलोकन करने के बाद न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं है और इस आशय का अभियुक्त ने शपथ पत्र पेश किया है। अभियुक्त से बरामदशुदा शराब की मात्रा भी अधिक नहीं है। अतः तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त लक्ष्मण पिता जौरजी डेंडोर उम्र 57 साल निवासी मालाखोलडा पुलिस थाना कुंआ जिला डूंगरपुर को अपराध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम की दोषसिद्धि में तत्काल किसी सजा से दण्डित नहीं कर अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 20,000 रुपये का मुचलका व इसी कदर राशी की एक जमानत दो वर्ष की अवधि के लिये इन शर्तों की पेश कर तस्दीक करावे कि अभियुक्त समाज में शान्ति व सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 200/-रुपये बतौर अभियोजन व्यय जमा करायेगा।

प्रकरण में जब्तशुदा शराब बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन अवधि नियमानुसार नष्ट किये जाने बाबत संबंधित थानाधिकारी को पृथक से तहरीर जारी हो।

अभियुक्त ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 के तहत जमानत मुचलका पेश किये, जो बाद जांच तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये। अभियुक्त ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत अभियोजन व्यय की राशी जरीये ई चालान नंबर 0119778973 दिनांक 11.03.2026 से जमा कर प्रति पेश की शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दपतर हो।

(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर